बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में गठित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 16(क) के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या 87 दिनांक 11.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त नियमावली के नियम 17(5) (ग) के अन्तर्गत श्री देव नन्दन यादव, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरूण कुमार, नं0–1 अवर सचिव, श्रम पक्ष, श्रम संसाधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री आदित्य राजहंस से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक–21.1.2016 एवं श्री देव नन्दन यादव तत्कालीन संचालन पदाधिकारी से प्राप्त पीत पत्र दिनांक–22.2.2016 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1445 दिनांक–10.05.2016 द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को यथावत् रखते हुए श्री गोपाल मीणा, तत्कालीन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आरोपित पदाधिकारी श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में चार आरोप गठित किये गये थे जो निम्नवत् है :–

(i) स्व0 वासुदेव कुमार, सेवा निवृत्त लिपिक की सेवा निवृति दिनांक–31.12.2012 होने के पश्चात् दिनांक–08.02.2015 को मृत्यु हो गयी। परन्तु श्री राजहंस के द्वारा स्व0 वासुदेव कुमार की सेवा निवृति के दो वर्ष छः माह तक सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किया गया।
(ii) स्व0 वासुदेव कुमार की पत्नी विधवा नीलम देवी के द्वारा श्री आदित्य राजहंस के विरूद्ध दिनांक–19.05.2015 को थाना प्रभारी नया रामनगर, मुंगेर के समक्ष एक एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया जिसमें श्री आदित्य राजहंस पर दो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों यथा श्री मृत्युंजय कुमार झा, तारापुर, गया तथा श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, जमालपुर के साथ घर जाकर सादे कागज पर हस्ताक्षर बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया।
(iii) स्व0 वासुदेव कुमार, सेवा निवृत्त लिपिक की पत्नी नीलम देवी द्वारा सेवा निवृति लाभ के भुगतान के लिए विभागीय सचिव को दिनांक–01.08.2015 को श्री आदित्य राजहंस के द्वारा पचास हजार रूपये की नाजायज मांग करने के संबंध में सूचित किया गया ।
(iv) स्व0 वासुदेव कुमार के सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु विभाग स्तर पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने पर श्री आदित्य राजहंस के कार्यालय की संबंधित संचिका में दिनांक–24.04.2015 को तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा अवलोकित करते हुए "Seen" अंकित कर दिया गया था परन्तु उनके द्वारा "Seen" के नीचे तिथि की हेराफेरी करते हुए पूर्व की तिथि 16.06.2014 को उपस्थापित टिप्पणी को दिनांक–16.06.2014 में ही अनुमोदित कर दिया गया।

3. श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध गठित उपर्युक्त चारों आरोपों में से संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में आरोप संख्या एक को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या संख्या दो तथा तीन को यद्यपि प्रमाणित होने का मंतव्य नहीं दिया गया है, परन्तु आरोप संख्या दो के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है तथा आरोप संख्या तीन को संदेहास्पद माना गया है। आरोप संख्या चार को संचालन पदाधिकारी ने पूर्णतः प्रमाणित पाया है। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री आदित्य राजहंस से विभागीय पत्रांक 2106 दिनांक 09.07.2016 तथा अंतिम विभागीय पत्र 3174 दिनांक 14.11.2016 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर की मांग की गई।

4. श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में आरोप संख्या एक के संबंध में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने स्व0 वासुदेव कुमार को उनके सेवा निवृत्ति के छः से आठ माह के अन्दर कार्यालय स्तर पर जो भी भुगतान संभव था उसे कर दिया था। अतः आरोप संख्या एक स्वतः निर्मूल हो जाता है। आरोप संख्या दो के संबंध में उन्होंने उत्तर दिया है कि थाना प्रभारी, नया रामनगर ने दिनांक 02.02.2016 को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया है कि उनके विरूद्ध दिनांक–19.05.2015 या उसके बाद कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कराया गया है। आरोप संख्या तीन के संबंध में उन्होंने यह

कृ0पृ0उ0

उल्लेख किया गया है कि श्रीमती नीलम देवी तथा उनके परिजनों द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर ने जॉच कर अपना निर्णय दिया है कि आवेदक का अभियोग मनगढंत एवं निराधार है जिसपर आगे के कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः आरोप संख्या तीन भी निर्मूल सिद्ध हुआ। आरोप संख्या चार के संबंध में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि पत्रांक 460 दिनांक 16.06.2014 गया कार्यालय भेजे जाने हेतु हस्ताक्षरित था इसे 19.06.2014 को निबंधित डाक से भेजा गया था, जिसका पोस्टल रजिस्ट्रेशन संख्या ARF082675673 IN दिनांक 19.06.2014 है। इस पोस्टल रजिस्ट्रेशन संख्या ARF082675673 IN दिनांक 19.06.2014 को संचालन पदाधिकारी द्वारा डाक विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही tempered बताया गया है।

5. श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री आदित्य राजहंस द्वारा सेवानिवृत लिपिक स्वर्गीय वासुदेव कुमार को जो भुगतान किया गया है, वह भी सात से आठ महीने के विलम्ब से किया गया है तथा इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने मात्र यह आधार बताया है कि सेवानिवृति के ढाई वर्ष तक कोई भी सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं करने का आरोप सही नहीं है। सभी सेवान्त लाभ अन्तिम रूप से भुगतान नहीं करने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें सेवा पुस्त मई, 2015 में सेवा निवृत एवं मृत पदाधिकारी के पुत्र द्वारा हाथों–हाथ उपलब्ध कराया गया एवं इसके बाद उन्होंने शेष सेवान्त लाभ के भुगतान की कार्रवाई की। सेवा पुस्त मई, 2015 में प्राप्त करने का मामला सन्देहास्पद है, क्योंकि सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक), गया के द्वारा जिस अग्रसारण पत्र से भेजा गया है वह 4 जनवरी, 2014 को ही हस्ताक्षरित एवं निर्गत है। इसके अलावा श्री अनिल कुमार, पिता स्व0 वासुदेव कुमार जिनके द्वारा हाथों–हाथ सेवा पुस्त 22 मई, 2015 को प्राप्त कराने की बात कही गई है, उनके द्वारा सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं मुख्य सचिव, बिहार को पत्र दिनांक 13. 05.2015 को हीं क्रमशः दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि उनसे सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया गया है एवं जब वे दिनांक 09.05.2015 को सहायक श्रमायुक्त से मिलने गये तभी उनके द्वारा सेवा पुस्त उन्हें दिखाया गया एवं दिये कागज पर हस्ताक्षर करा लिया गया, जबकि वे वर्ष 2014 में ही सेवा पुस्त कार्यालय में जमा कर चुके हैं । इस प्रकार विलम्ब से सेवा पुस्त आने का तथ्य भी सन्देहास्पद हो जाता है। सभी तथ्यों के समीक्षोपरान्त विलम्ब से सेवान्त लाभ भुगतान करने का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप सं0–2 एवं 3 संचालन पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया है एवं साक्ष्यों के अभाव में इसे प्रमाणित किया जाना सम्भव नहीं है, परन्तु जैसा कि संचालन पदाधिकारी ने अंकित किया है, पूरी स्थिति संदेहास्पद अवश्य थी।

आरोप संख्या–4 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती नीलम देवी का परिवाद पत्र प्राप्त होने के पश्चात श्री आदित्य राजहंस को स्व0 वासुदेव कुमार के सेवान्त लाभ के भुगतान की संचिका के साथ सचिवालय में बुलाया गया एवं उस संचिका पर तत्कालीन अपर सचिव द्वारा Seen अंकित किया गया । Seen की तिथि 24.04.2015 अंकित है एवं यह दिनांक 30.8.2013 की टिप्पणी के बाद अंकित की गयी है, परन्तु बाद में जब श्री आदित्य राजहंस से पूरी संचिका की छाया प्रति भेजने के लिए कहा गया तब अपर सचिव के इस लघु हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 16.6.2014 की टिप्पणी अंकित पायी गयी। इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा मात्र यह कहा जा रहा है कि यह टिप्पणी पूर्व से ही अंकित थी एवं 16.6.2014 को पत्र निर्गत करने के पूर्व में ही निबंधित डाक के द्वारा भेजा जा चुका था, परन्तु वे इस तथ्य का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे है। अगर 16.6.2014 की यह टिप्पणी पूर्व से अंकित थी तो उसके उपर अपर सचिव द्वारा कैसे Seen अंकित करते हुए अपना लघु हस्ताक्षर अंकित किया गया। इस प्रकार यह आरोप श्री आदित्य राजहंस पर प्रमाणित होता है।

निष्कर्षतः श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध आरोप सं0 एक एवं आरोप सं0 चार प्रमाणित होते हैं। अतः श्री आदित्य राजहंस के द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके विरूद्ध निन्दन तथा दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 (संशोधन) यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम–14 (i) तथा 14 (v) के अन्तर्गत निन्दन तथा दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

कृ0पृ0उ0

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को **निबंधित डाक** से उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

निबंधित

ज्ञाप सं0— 6/श्र वि0 आ0 (02)—19/2015 श्र0सं0— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0— 6/श्र वि0 आ0 (02)—19/2015 श्र0सं0— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— महालेखाकार,बिहार,पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0— 6/श्र वि0 आ0 (02)—19/2015 श्र0सं0— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा एवं हाजीपुर/जिला पदाधिकारी, नालन्दा एवं हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0— 6/श्र वि0 आ0 (02)—19/2015 श्र0सं0— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—श्री आदित्य राजहंस, तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0— 6/श्र वि0 आ0 (02)—19/2015 श्र0सं0— 857 पटना, दिनांक— 06/4/2017

प्रतिलिपि—श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)/आई0/टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी—6, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की पॉच अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव